न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन कमांक 69 / 18

रिंकू पुत्र जगत सिंह यादव आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम किटैना थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड, म०प्र०

——-आवेदक

বিক্তৰ

पुलिस थाना मौ

---अनावेदक

28-02-2018

आवेदक / आरोपी रिंकू की ओर से श्री आर0सी0 यादव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मौ से अपराध कमांक 42/18 अंतर्गत धारा 379 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त रिंकू की ओर से अधिवक्ता श्री आर0सी0 यादव द्वारा जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन धारा 437 दं0प्र0सं0 का निरस्त हो जाने के पश्चात् प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री आर0सी0 यादव द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि वह ग्राम किटैना का परगना गोहद जिला भिण्ड का निवासी है। आवेदक को पुलिस मौ द्वारा झूंठे अपराध में फंसा दिया है। आवेदक दिनांक 19.02.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके फरार होने तथा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की आशंका नहीं है। आवेदक मजदूर पेशा है यदि उसे अधिक समय तक जेल में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या पैदा हो जायेगी। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 18.02.2018 को दौराने वाहन चैकिंग द्रक कमांक यू०पी० 75 एटी 0195 चैक करने पर चालक अर्थात् आरोपी पर रायल्टी नहीं मिली, जो खनिज चोरी करके आ रहा था।

उक्त अपराध पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना मौ में अपराध क्रमांक 42/18 अंतर्गत धारा 379 भाठदंठसंठ के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा से दण्डनीय होकर जेठएमठएफठसीठ न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.02.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदक/अभियुक्त मजदूर के रूप में अपने परिवार का एकमात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक / अभियुक्त की ओर से निम्न शर्तों सिहत 30,000 / — रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

1.प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।
2.अभियोजन साक्षियों को प्रभावित / प्रलोभित नहीं करेगा।
3.अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी
जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड